(नियम–26)

अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
मुनवर पुत्र इलियास जाति मुसलमान, निवासी देवका तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (05)		इलियास पुत्र अचार जाति मुसलमान, निवासी देवका तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) **मुकदमा नम्बर 336/2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2024	प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह भाटी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त के खेत मौजा देवका, तहसील शिव के खसरा नम्बर 196/1, 288/135, 288/207, 291/210, 294/211 रकबा क्रमशः 0.0243, 0.8579, 0.5261, 1.4892, 0.2509 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी पूर्व खातेदार अचार के नाम खातेदारी दर्ज थी, जो विरासत में विप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त होने से उक्त आराजी में प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित है तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 1 के बुजुर्ग होने तथा मानसिक संतुलन सही नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उसे बहला व वृद्धावस्था पेंशन का झांसा देकर कुछ आराजी का अपने नाम से बैचान करवा दिया है तथा अन्य भूमि का भी अपने तथा अन्य अजनबी क्रेताओं के नाम बैचान करवाने पर आमादा है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थीगण के हक हिस्सा में बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल किया जाता है या भूमि का बैचान किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वि[illegible] अ[illegible]ी विप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त होने से प्रार्थीगण काबिजदस्त[illegible] में हक हिस्सा है तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा की जाकर उन्हे जबरन बेदखल किया जाता है अथवा भूमि का बैचान किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी तथा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति मे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:53:03 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा देवका, तहसील शिव के खसरा नम्बर 196/1, 288/135, 288/207, 291/210, 294/211 रकबा क्रमशः 0.0243, 0.8579, 0.5261, 1.4892, 0.2509 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है। उक्त स्थगन से आवागमन हेतु चलायमान रास्ता अप्रभावित रहेगा।

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 20.12.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

20.12.24 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 14.02.25 को पेश हो।

14.2.25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 21.04.25 को पेश हो।

21.4.25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 4.6.25 को पेश हो।

4.6.25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 19.6.25 को पेश हो।

19.6.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उप.। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण की तामिली राजि. AD से करवाने बाबत दिनांक [illegible] को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:53:03 IST
Reason: SelfAttested

26.6.25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 14.7.25 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.12.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण का इंतजार होकर दिनांक 21.01.26 को पेश हो। सहायक कलेक्टर शिव (बाड़मेर)	
21.1.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 02.02.26 को पेश हो। सहायक कलेक्टर शिव (बाड़मेर)	
02.2.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दि. 27.2.26 को पेश हो।	
27.2.26	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अन्य सरकारी कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 6.4.26 को पेश हो।	
30.3.26	मूल वाद में जल्द सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। चूंकि उक्त आवेदन का मूल [illegible] किया जा चुका है। अतः मूल वाद के [illegible] पर उक्त आवेदन का कोई [illegible] उक्त आवेदन भी इसी स्टेज पर [illegible] किया जाता है। साथ ही पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर शिव (बाड़मेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:53:03 IST
Reason: SelfAttested